न्यायमूर्ति अमरजीत चौधरी और न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल के समक्ष

सुशीला देवी,-*याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य,-*प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपी नं. 3046 *का* 1997

7 मई, 1997

भारत का संविधान, 1950—अनुशेद 226/227-हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 18(1)-नामांकन की अस्वीकृति-याचिकाकर्ता को 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा सोसायटी की प्रबंध समिति द्वारा निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। किनारा—जोनल कमेटी ने याचिकाकर्ता का नामांकन इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित नहीं हुआ - रद्द करने को चुनौती - माना गया कि प्रस्ताव सही तरीके से पारित हुआ - 10 में से 6 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया और याचिकाकर्ता के नाम को मंजूरी दी - केवल नौ को 10वें सदस्य के रूप में वोट देने के लिए अधिकृत किया गया एक सहयोगी सदस्य था और चुनाव में भाग नहीं लेगा - यदि प्रस्ताव दोषपूर्ण है तो सोसायटी को नया प्रस्ताव पारित करने का अवसर देना समिति का कर्तव्य है।

आयोजित, प्रतिद्वंद्वी विवादों से उभरे तथ्यों से, सोसायटी की प्रबंध समिति द्वारा पारित दिनांक 27 दिसंबर, 1996 के प्रस्ताव को देखने से यह प्रतीत होता है कि 10 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था, जिनमें से एक श्री अजीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी थे। बैंक। एसोसिएट सदस्य होने के नाते उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 18(1) में कहा गय□ है कि एक सहकारी सोसायटी अपने उपनियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या सहकारी सोसायटी या किसी अन्य वैधानिक निकाय को सहयोगी सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। धारा 20 सोसायटी के मामलों में वोट देने का अधिकार प्रदान करती है। खंड (बी) में कहा गया है कि एसोसिएट सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत सिंह को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह बैंक के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल हुए थे। चूँकि वह केवल एक सहयोगी सदस्य थे, उन्होंने वास्तव म□□ चुनाव में भाग नहीं लिया।

(6 के लिए)

आगे आयोजित, प्रबंध समिति के छह सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए और इस प्रकार, हालांकि नौ सदस्य, कौन

भाग लिया था, मतदान किया था, छह सदस्यों ने याचिकाकर्ताओं के नाम को मंजूरी दी थी। इसलिए, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के नाम को सोसायटी की प्रबंध समिति के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(6 के लिए)

आगे आयोजित, चूंकि याचिकाकर्ता के नामांकन को सोसायटी की प्रबंध समिति के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को चुनाव में भाग लेने से रोकने का जोनल कमेटी का निर्णय प्रावधानों के विपरीत पाया गया है। कानून और अस्थिर. भले ही याचिकाकर्ता को नामांकित करने वाले प्रस्ताव को दोषपूर्ण माना गया हो, फिर भी यह ज़ोनल कमेटी पर निर्भर था कि वह सोसायटी को एक नया प्रस्ताव पारित करने क□ अवसर दे ताकि चुनाव में भाग लेने के लिए सोसायटी के उसी या किसी अन्य प्रतिनिधि को नामित किया जा सके। .

(9 के लिए)

प्रेम सिंह, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए*

डी आर त्रिखा, डी ए जी हरियाणा D.A.G., *उत्तरदाता 1 और 2 के लिए*

एस.एस. दलाई, वकील, *उत्तरदाताओं 3 से 6 के लिए*

ए.पी. मनचंदा, वकील , *उत्तरदाता 7 के लिए*

निर्णय

न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल

(1) यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत मोहिंदरगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतिवादी संख्या 6

(इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा गठित क्षेत्रीय समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 फरवरी, 1997 को रद्द करने के लिए एक याचिका है। जिससे याचिकाकर्ता का नामांकन खारिज कर उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया।

(2) याचिकाकर्ता, श्रीमती. सुशीला देवी, कुराहवाला सहकारी क्रेडिट और सेवा सोसायटी, गांव कुराहवाला, तहसील और जिला मोहिंदरगढ़ (इसके बाद "सोसायटी" के रूप में संदर्भित) की प्राथमिक सदस्य थीं। सोसायटी, बदले में, बैंक की सदस्य थी और, इस तरह, वह बैंक के निदेशक मंडल/प्रबंध समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजने की हकदार थी। निदेशक/प्रबंध मंडल के वर्तमान कार्यकाल के रूप में बैंक की समिति समाप्त हो रही थी, बैंक द्वारा एक जोनल समिति का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री नरेंद्र सिंह यादव (प्रतिवादी संख्या 4) और श्री प्रेम चंद गुप्ता, अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 5) को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के अलावा जोनल समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। सोसायटी को 12 अन्य सोसायटी के साथ जोन नंबर 1 में रखा गया था। याचिकाकर्ता को, 27 दिसंबर, 1996 के एक प्रस्ताव द्वारा, सोसायटी की प्रबंध समिति द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य 12 सोसाइटियों ने भी अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत किया। इस प्रकार, जोन नंबर 1 में मतदाताओं की सूची में 13 मतदाता थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा (प्रतिवादी नंबर 7) चाहते थे कि उनके भाई राजिंदर सिंह को निदेशक के रूप में निर्विरोध चुना जाए। बैंक राजनीतिक कारणों से याचिकाकर्ता के पति से भी नाखुश था। जोनल कमेटी की बैठक में एक श्री कंवर सिंह द्वारा आपत्ति उठाई गई कि याचिकाकर्ता का नाम जोन नंबर 2 में शामिल किया जाना चाहिए न कि जोन नंबर 1 में। हालांकि, उस आपत्ति पर विचार करने के बजाय, जोनल कमेटी ने याचिकाकर्ता का नाम काट दिया। उनका नाम मतदाताओं की सूची से इस आधार पर हटा दिया गया कि उनका नाम सोसायटी के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे सोसायटी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव सोसायटी की प्रबंध समिति के नौ में से छह सदस्यों द्वारा पारित किया गया था और इस प्रकार उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा एक वैध प्रस्ताव था। संकल्प की प्रति (अनुलग्नक पी-1) यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में रखी गई है कि प्रबंध समिति की बैठक में 10 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से, बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत सिंह ने नामांकित व्यक्ति के रूप में बैठक में भाग लिया था। इसलिए, बैंक के पास वोट देने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए, सोसायटी की प्रबंध समिति के नौ सदस्यों में से छह सदस्यों ने याचिकाकर्ता के नामांकन को मंजूरी दे दी थी और इस प्रकार यह एक वैध नामांकन था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि, भले ही यह मान लिया गया था कि प्रस्ताव द□-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं किया गया था, फिर भी समाज को चुनाव के तहत आवश्यक एक नया प्रस्ताव पारित करने का अवसर देना आवश्यक था। नियम। चूंकि याचिकाकर्ता को चुनाव में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, इसलिए बैंक की जोनल कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

(4) प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने अपना संयुक्त उत्तर दाखिल किया है और प्रतिवादी संख्या 7 ने भी याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोपों से इनकार करते हुए एक अलग उत्तर दायर किया है।

(5) उत्तरदाताओं द्वारा दी गई दलील यह है कि किसी सोसायटी की प्रबंध समिति के सदस्य को केवल साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन सोसायटी का एक प्राथमिक सदस्य, जो याचिकाकर्ता था , सोसायटी की प्रबंध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। चूँकि याचिकाकर्ता को अधिकृत करने वाला प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित नहीं हुआ था, उसका नाम मतदाताओं की सूची से हटा दिया गया था।

(6) प्रतिद्वंद्वी विवादों से उभरे तथ्यों से, सोसायटी की प्रबंध समिति द्वारा पारित 27 दिसंबर, 1996 के प्रस्ताव के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 10 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था, जिनमें से एक श्री अजीत सिंह, कार्यकारी थे। बैंक के अधिकारी. एसोसिएट सदस्य होने के नाते उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 18(1) में कहा गया है कि एक सहकारी समिति अपने उपनियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या सहकारी समिति या किसी अन्य वैधानिक निकाय को सहयोगी सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। धारा 20 सोसायटी के मामलों में वोट देने का अधिकार प्रदान करती है। खंड (बी) में कहा गया है कि किसी सहयोगी सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत सिंह को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उन्होंने बैंक के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया था। चूँकि वह केवल एक सहयोगी सदस्य थे, उन्होंने वास्तव में चुनाव में भाग नहीं लिया। याचिकाकर्ता का नाम एक सदस्य श्री जगमाल सिंह, भगवान रफीम के पुत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सर्वश्री करण सिंह, राम सिंह और रीति राम ने इसका समर्थन किया था। कंवर सिंह का नाम भी प्रस्तावित किया गया था लेकिन अंततः श्रीमती. याचिकाकर्ता सुशीला देवी को बैंक की प्रबंध समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए बहुमत से अधिकृत किया गया था। प्रबंध समिति के छह सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए और इस प्रकार, हालांकि भाग लेने वाले नौ सदस्यों ने मतदान किया था, छह सदस्यों ने याचिकाकर्ता के नाम

को मंजूरी दे दी। इसलिए, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के नाम को सोसायटी की प्रबंध समिति के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। जोनल कमेटी को कंवर सिंह से दो शिकायतें मिलीं जो वास्तव में एक पराजित उम्मीदवार थे। जोनल कमेटी के समक्ष कंवर सिंह द्वारा दायर की गई पहली आपत्ति याचिकाकर्ता का नाम जोन नंबर 1 के बजाय जोन नंबर 2 में शामिल करने से संबंधित थी। हालांकि, उस याचिका को जोनल कमेटी ने खारिज कर दिया था। श्री कंवर सिंह ने दूसरी आपत्ति भी दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव में याचिकाकर्ता की मंजूरी नहीं दी गयी है।सोसायटी की प्रबंध समिति की इस आपत्ति को जोनल कमेटी ने स्वीकार कर लिया।

(7) उपरोक्त विवेचित तथ्यों से जोनल कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः गलत एवं तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है। उत्तरदाताओं की यह दलील कि याचिकाकर्ता के नाम का समर्थन केवल चार व्यक्तियों ने किया था, सही प्रतीत नहीं होती। यह प्रस्ताव सोसाइटी की प्रबंध समिति के छह सदस्यों द्वारा गाया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क, कि उसका नाम एक वैध प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था, स्वीकार्य पाया गया है।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के एक निर्णय *नवाब सिंह* बनाम *रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा और अन्य* (1), पर भरोसा जताया गया है।इस प्रस्ताव के समर्थन में कि सोसायटी को एक नया प्रस्ताव पारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। उस मामले में भी, जोनल कमेटी ने प्रस्ताव को दोषपूर्ण पाया था क्योंकि इसे सोसायटी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। यह माना गया कि जोनल कमेटी एक निर्दिष्ट समय के भीतर एक नया प्रस्ताव पारित करने के लिए सोसायटी को पर्याप्त अवसर देने के लिए बाध्य थी।

(9) चूंकि याचिकाकर्ता के नामांकन को सोसायटी की प्रबंध समिति के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को चुनाव में भाग लेने से रोकने का जोनल कमेटी का निर्णय इसके विपरीत पाया गया है। कानून के प्रावधान और अस्थिर. भले ही याचिकाकर्ता को नामांकित करने वाले प्रस्ताव को दोषपूर्ण माना गया हो, फिर भी यह ज़ोनल कमेटी पर निर्भर था कि वह सोसायटी को एक नया प्रस्ताव पारित करने का अवसर दे ताकि सोसायटी के उसी या किसी अन्य प्रतिनिधि को भाग लेने के लिए नामांकित किया जा सके। चुनाव, दोनों आधारों पर याचिकाकर्ता का नाम जोन क्रमांक 1 की मतदाता सूची से बाहर किया जाना कानूनन गलत पाया गया है।

(10) परिणाम में, याचिकाकर्ता सफल होता है। उत्तरदाताओं क्रमांक 2, 3 और 6 को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार जोन क्रमांक 1 से चुनाव कराने के लिए याचिकाकर्ता के नाम सहित मतदाताओं की एक नई सूची तैयार करें। लागत, रुपये पर मूल्यांकन किया गया. 500.

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, हरियाणा